कार्यालयः—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना (म0प्र0)

(सांख्यिकीय अनुभाग)

:: कार्य विभाजन आदेश ::

क्रमांक—01/दो—12—1/90(SW) **पन्ना, दिनांक— 15 अप्रैल, 2025**
(Work Distribution File)

मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15(1) एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा—214, 422 तथा 441 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **मैं, राजाराम भारतीय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना** इस जिले के समस्त व्यवहार न्यायालयों में आपराधिक एवं व्यवहार कार्य का विभाजन करते हुये, वर्ष—2025 हेतु निम्नानुसार कार्य विभाजन आदेश प्रसारित करता हूँ। यह कार्य विभाजन आदेश दिनांक **15.04.2025** से प्रभावशील होगा।

क्र0	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	प्रकरणों का प्रकार
1(अ)	सत्र न्यायाधीश, पन्ना	सम्पूर्ण सत्र खण्ड पन्ना	01. समस्त सत्र प्रकरण। 02. आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपीलें। 03. आपराधिक अपीलें। 04. अपचारी बालकों से संबंधित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा—15 के अधीन जघन्य अपराध में प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात् पारित बोर्ड के आदेशों के विरूद्ध अपीलें। 05. आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन। 06. आपराधिक विविध प्रकरण। 07. जमानत आवेदन पत्र।(अपर सत्र न्यायालय पवई की क्षेत्राधिकारिता के अतिरिक्त) 08. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण। 09. ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 10. रजिस्ट्री पत्र कमांक—ए/3452 दिनांक 04.09.2022 के अनुपालन में महिलाओं से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई। 11. ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं।
1(ब)	प्रधान जिला न्यायाधीश, पन्ना	सम्पूर्ण राजस्व जिला पन्ना (तहसील	01. रू. 5,00,00,000 (पाँच करोड) से अधिक मूल्य के समस्त व्यवहार वाद। 02. उपरोक्त व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध न्यायिक प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरणों की कार्यवाहियाँ।

क्र0	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	प्रकरणों का प्रकार
		पवई, रैपुरा, शाहनगर एवं सिमरिया को छोड़कर)	03. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पन्ना एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पन्ना के न्यायालय के समस्त अतिरिक्त न्यायाधीश,पन्ना (ट्रेनी जजों) द्वारा पारित निर्णयों, आज्ञप्तियों एवं आदेशों से उत्पन्न नियमित अपीलें तथा विविध व्यवहार अपीलें। 04. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अजयगढ़ द्वारा पारित निर्णयों, आज्ञप्तियों एवं आदेशों से उत्पन्न नियमित व्यवहार अपीलें। 05. रेन्ट कन्ट्रोल अथोरिटी के निर्णय के विरूद्ध उत्पन्न अपीलें। 06. पेमेन्ट ऑफ वेजे़ज एक्ट, 1936 की धारा 17 के अधीन अपीलें। 07. म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) तथा 173 के अन्तर्गत प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश पन्ना एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अजयगढ़ द्वारा अपीलों में पारित निर्णय के विरूद्ध पुनरीक्षण। 08. किसी भी अन्य केन्द्रीय अथवा स्थानीय अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेशों के विरूद्ध प्रधान जिला न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत होने वाली अपीलें। 09. न्यास अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत प्रकरण। 10. पब्लिक प्रिमाइसेस इव्हिक्शन एक्ट 1971 के प्रकरण। 11. विशिष्ट अनुतोष (संसोधन) अधिनियम, 2018 अंतर्गत अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के दावों का विचारण। 12. जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होने वाले ऐसे सिविल प्रकरण जिनका उल्लेख इस कार्यविभाजन में नहीं है।
2(अ)	विशेष न्यायाधीश	सत्र खण्ड पन्ना	01. ऐसे समस्त प्रकार के सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण, आपराधिक विविध प्रकरण एवं

क्र0	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	प्रकरणों का प्रकार
	(एट्रोसिटीज़), पन्ना		जमानत आवेदन जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किए जाए। 02.संपूर्ण सत्र खण्ड जिला पन्ना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत विशेष सत्र प्रकरण। 03.अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 नियम, 1995 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन तथा अन्य विविध कार्यवाहियॉ (खात्मा/खारिजी, आदि कार्यवाही) 04. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) पन्ना के न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरण जो अपीलीय न्यायालय से वापिस प्राप्त एवं अन्य समस्त विविध कार्यवाहियाँ।
2(ब)	प्रथम जिला न्यायाधीश के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, पन्ना	—	01. ऐसे समस्त व्यवहार प्रकरण जो समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश, पन्ना के द्वारा अन्तरित किए जायें । 02. पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निराकृत क्लेम/सिविल प्रकरणों की निष्पादन कार्यवाहियॉ एवं अपीलीय न्यायालय से वापिस प्राप्त प्रकरणों की कार्यवाहियॉ।
3(अ)	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना	सत्र खण्ड पन्ना	01. ऐसे समस्त प्रकार के सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण, आपराधिक विविध प्रकरण एवं जमानत आवेदन जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किए जाए। 02.सी0पी0 एण्ड बरार ड्रग्स रूल्स 1945 की धारा 66(2) के अधीन अपीलें। 03. म0प्र0 विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधिनियम, 1982 के समस्त प्रकरण। 04. संपूर्ण सत्र खण्ड जिला पन्ना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत इस जिले में उद्भूत समस्त प्रकरण। 05. 05. संपूर्ण सत्र खण्ड पन्ना में एन.डी.पी.एस.एक्ट, 1985 के अधीन पेश होने वाले प्रकरण (मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर) एवं अन्य समस्त विविध कार्यवाहियॉ (खात्मा/खारिजी आदि)
3(ब)	प्रथम जिला	———	01. ऐसे समस्त व्यवहार प्रकरण जो समय–समय पर

क्र0	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	प्रकरणों का प्रकार
	न्यायाधीश, पन्ना		प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किए जायें।
4(अ)	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, पन्ना	सत्र खण्ड पन्ना	01. ऐसे समस्त प्रकार के प्रकरण (सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण, आपराधिक विविध प्रकरण) एवं जमानत आवेदन जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किए जाए। 02. विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत उत्पन्न प्रकरण एवं अन्य विविध कार्यवाहियॉ । 03. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/(एफ.टी.सी.) पन्ना के न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरण जो अपीलीय न्यायालय से वापिस प्राप्त एवं अन्य समस्त विविध कार्यवाहियाँ।
4(ब)	द्वितीय जिला न्यायाधीश, पन्ना	राजस्व तहसील पन्ना एवं नगर पालिका/नगरनिगम एवं कंन्टोन्मेन्ट सीमा की क्षेत्रीय सीमाओं को छोडकर तथा तहसील न्यायालय पवई के क्षेत्राधिकार को छोड़कर सम्पूर्ण राजस्व जिला पन्ना	01. ऐसे समस्त व्यवहार प्रकरण जो समय–समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किए जायें। 02. थाना मड़ला, ब्रजपुर, अमानगंज और सलेहा में पंजीबद्ध मोटरदुर्घटना से संबंधित मामलों से उद्भूत मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दुर्घटना दावा एवं घातक दुर्घटना (फेटल एक्सीडेण्ट एक्ट, 1855) के समस्त प्रकरण। 03. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन विचारणीय पारिवारिक विवादों के प्रकरण। 04. दत्तक ग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत गोदनामा बावत् आवेदन पत्र। 05. मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम,1938 के तहत् प्रकरण। 06. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम,1968 के तहत प्रकरण 07. विशेष विवाह अधिनियम के तहत प्रकरण। 08. भू–अर्जन अधिनियम के अधीन उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण। 09. गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण। (कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा–7 से संबंधित प्रकरण व अन्य प्रकरण जो कि कुटुम्ब न्यायालय पन्ना के क्षेत्राधिकार से परे हैं) 10. द्वितीय जिला न्यायाधीश, पन्ना तथा प्रथम जिला न्यायाधीश के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, पन्ना के न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरण जो अपीलीय

क्र0	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	प्रकरणों का प्रकार
			न्यायालय से वापिस प्राप्त हुये हों एवं अन्य समस्त विविध कार्यवाहियाँ।
5(अ)	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, पन्ना	––	01. ऐसे समस्त प्रकार के सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण, आपराधिक विविध प्रकरण एवं जमानत आवेदन जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किए जाए। 02. लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण एवं रिमांड व विविध कार्यवाहियाँ। 03. किशोर न्याय बोर्ड/समिति के आदेश के विरूद्ध धारा–101(1) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील **(जिनका उल्लेख कमांक–1(अ) में न हो)** 03. सम्पूर्ण सत्र खण्ड पन्ना में SC/ST (POA) Act एवं POCSO Act के संयुक्त आपराधिक मामले। 04. संपूर्ण सत्र खण्ड पन्ना में मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 के अधीन पन्ना जिले में उद्भूत समस्त प्रकरण, आवेदन पत्र एवं विविध प्रकरण। 05. तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पन्ना एवं पूर्व में कार्यरत तथा वर्तमान में रिक्त समस्त अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना के न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरण जो अपीलीय न्यायालय से वापिस प्राप्त हुये हों एवं अन्य समस्त विविध कार्यवाहियाँ। 05. राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम, 2008 के अधीन उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण। 06. डेन्टिस्ट एक्ट, 1956 की धारा 32(4) के अन्तर्गत अपीलें। 07. मेन्टल हैल्थ एक्ट 1987 के अधीन प्रकरण।
5(ब)	तृतीय जिला न्यायाधीश, पन्ना	सम्पूर्ण राजस्व जिला पन्ना (तहसील पवई, शाहनगर, रैपुरा एवं सिमरिया को	01. रू. 1,00,00,000 से 5,00,00,000 रूपए तक मूल्य के समस्त व्यवहार वाद। 02.उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध न्यायिक प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ। 03. लघुवाद न्यायालय के अन्तर्गत प्रस्तुत रु0 501/– से अधिक 1000/– रु0 तक मूल्य के दावे। 04. प्रोवेट एण्ड लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकरण। 05. ऐसे समस्त व्यवहार प्रकरण जो समय–समय पर

क्र0	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	प्रकरणों का प्रकार
		छोड़कर)	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किए जायें। 06. तृतीय जिला न्यायाधीश एवं पूर्व में कार्यरत तथा वर्तमान में रिक्त समस्त जिला न्यायाधीश, पन्ना के न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरण जो अपीलीय न्यायालय से वापिस प्राप्त हुये हों एवं अन्य समस्त विविध कार्यवाहियाँ। 07. ट्रेड यूनियन एक्ट के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण। 08. म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अधीन राजस्व जिला पन्ना में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण एवं आवेदन पत्र। (मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1–3–2004 / 4823 / 2019 / 21–ब (एक) , मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (क्रमांक–16 सन् 2001) की धारा 07 की उपधारा(1)) (समस्त राजस्व जिला पन्ना) 09. दिवालिया अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण। 10. इंडियन ल्यूनेंसी एक्ट, 1912 के अन्तर्गत प्रकरण। 11. माध्यस्थम अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत पंचाट मामले / माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के मामले। 12. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) तथा 173 के अन्तर्गत पन्ना में कार्यरत व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा अपीलों में पारित निर्णय के विरूद्ध पुनरीक्षण। 13. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के आदेशों के विरूद्ध अपीले / पुनरीक्षण। 14. म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत निर्वाचन याचिकायें। 15. थाना कोतवाली पन्ना, देवेन्द्रनगर, गुनौर, धरमपुर, अजयगढ एवं पन्ना जिले के बाहर के थानों में पंजीबद्ध मोटर दुर्घटना से संबंधित मामलों से उद्भूत मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दुर्घटना दावा एवं घातक दुर्घटना (फेटल एक्सीडेण्ट एक्ट, 1855) के समस्त प्रकरण।
06.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश	तहसील पन्ना एवं	01. रु0 5,00,000 से अधिक 1,00,00,000 (एक करोड़) रुपये तक के व्यवहार वाद।

क्र0	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	प्रकरणों का प्रकार
	वरिष्ठ खण्ड, पन्ना	देवेन्द्रनगर	02. उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध न्यायिक प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ। 03. रु. 201 से लेकर रु. 500 तक के लघुवाद प्रकरण। 04. म0प्र0 नगरपालिका एक्ट की धारा 133 एवं 172 के अधीन अपीलें। **(पवई क्षेत्राधिकार को छोड़कर पन्ना जिले के शेष क्षेत्राधिकार के लिए)** 05. हिन्दू माईनॉरिटी एण्ड गार्जियनशिप, 1957(1) की धारा 32(9) के अधीन प्रकरण। 06. दिवालिया अधिनियम के अधीन प्रकरण। 07. डिस्प्लेज्ड परसन (डेडक्ट और इजेक्टमेंट) एक्ट, 1951 के अधीन प्रकरण। 08. पन्ना जिला के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अधीन प्रस्तुत प्रकरण। 09. उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत होने वाले विविध न्यायिक प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ। 10. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण। 11. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना द्वारा निर्णीत प्रकरणों से संबंधित इजराय, विविध प्रकरण की सुनवाई एवं उनके निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय से वापिस प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना करेंगे। 12. अन्य प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ जो कि व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना द्वारा विचारणीय हैं एवं जिसका उल्लेख कमांक–6, 7 एवं 8 में न हो ।
07.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना	तहसील अजयगढ़	01. रू.5,00,000 से अधिक 1,00,00,000(एक करोड़) तक के व्यवहार वाद। 02. रू.201 से लेकर रु. 500 तक के लघुवाद प्रकरण। 03. उपरोक्त प्रकरण से उद्भूत होने वाले विविध न्यायिक प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ। 04. अन्य व्यवहार प्रकरण, जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाये। 05. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना द्वारा निर्णीत प्रकरणों से संबंधित इजराय, विविध प्रकरण की सुनवाई एवं उनके निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय से वापिस प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई द्वितीय व्यवहार

क्र0	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	प्रकरणों का प्रकार
			न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना करेंगे।
08.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना के न्यायालय के **प्रथम** अतिरिक्त न्यायाधीश, पन्ना	तहसील गुनौर, अमानगंज	01. रू. 5,00,000 से अधिक 1,00,00,000(एक करोड़) तक के व्यवहार वाद। 02. रू. 201 से लेकर रु. 500 तक के लघुवाद प्रकरण। 03. उपरोक्त प्रकरण से उद्‌भूत होने वाले विविध न्यायिक प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ। 04. अन्य व्यवहार प्रकरण, जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किए जाये। 05. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, पन्ना तथा वर्तमान में समस्त **रिक्त** अतिरिक्त न्यायाधीश, पन्ना द्वारा निर्णीत प्रकरणों से संबंधित इजराय, विविध प्रकरण की सुनवाई एवं उनके निर्णय के विरूद्ध अपील न्यायालय से वापिस प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश करेंगे।
09.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, पन्ना	——	**रिक्त न्यायालय**
10.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पन्ना	**तहसील पन्ना**	01. रू. 01 से लेकर रु. 5,00,000 तक के व्यवहार वाद। 02. रू. 01 से लेकर रु. 200 तक के लघुवाद प्रकरण। 03. उपरोक्त प्रकरण से उद्‌भूत होने वाले विविध न्यायिक प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ। 04. अन्य व्यवहार प्रकरण, जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किए जायें। 05. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, पन्ना द्वारा निर्णीत प्रकरणों से संबंधित इजराय, विविध प्रकरणों की सुनवाई एवं उनके निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय से वापस प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, पन्ना करेंगे। 06.अन्य प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ जो कि व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पन्ना/अजयगढ़ द्वारा विचारणीय हैं एवं जिसका उल्लेख कमांक—10 से 12, 17 में न हो।

क्र0	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	प्रकरणों का प्रकार
11.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पन्ना	**तहसील अमानगंज**	01. रू. 01 से लेकर रु. 5,00,000 तक के व्यवहार वाद। 02. रू. 01 से लेकर रु. 200 तक के लघुवाद प्रकरण। 03. उपरोक्त प्रकरण से उद्भूत होने वाले विविध न्यायिक प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ। 04. अन्य व्यवहार प्रकरण, जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जायें। 05. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, पन्ना द्वारा निर्णीत प्रकरणों एवं वर्तमान में रिक्त समस्त व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, पन्ना के समस्त अतिरिक्त कनिष्ठ न्यायाधीश (ट्रेनी जज), से संबंधित इजराय, विविध प्रकरणों की सुनवाई एवं उनके निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय से वापस प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, पन्ना करेंगे।
12.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पन्ना	**तहसील देवेन्द्रनगर एवं गुनौर**	01. रू. 01 से लेकर रु. 5,00,000 तक के व्यवहार वाद। 02. रू. 01 से लेकर रु. 200 तक के लघुवाद प्रकरण। 03. उपरोक्त प्रकरण से उद्भूत होने वाले विविध न्यायिक प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ। 04. व्यवहार प्रकरण, जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जायें। 05. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पन्ना द्वारा निर्णीत प्रकरणों से संबंधित इजराय, विविध प्रकरण की सुनवाई एवं उनके निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय से वापस प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पन्ना करेंगे।
13 (अ)	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पवई	तहसील पवई, शाहनगर, रैपुरा एवं सिमरिया	01. सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक रिवीजन, आपराधिक विविध प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र एवं वे प्रकरण जो समय–समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किए जायें। 02. जमानत आवेदन पत्र। 03. विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत उत्पन्न प्रकरण। 04. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पन्ना (एफ.टी.सी.) के न्याया0 के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान पवई के द्वारा अपीलीय न्यायालय से वापिस प्राप्त सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण प्रकरणों एवं अन्य

क्र0	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	प्रकरणों का प्रकार
			समस्त विविध प्रकरणों की कार्यवाहियाँ। 05. आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् अपीलें। 06. म0प्र0 विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधिनियम 1982 के समस्त प्रकरण। 07. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दाण्डिक प्रकरण, जमानत एवं रिमाण्ड। 08. ग्राम न्यायालय, तहसील पवई/पन्ना के प्रकरणों से उत्पन्न समस्त अपीलीय एवं विविध कार्यवाहियाँ। 09. कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रकरण।
13 (ब)	जिला न्यायाधीश, पवई	तहसील पवई, शाहनगर, रैपुरा एवं सिमरिया	01. रू. 1,00,00,000 (एक करोड़) रूपए से अधिक मूल्यके समस्त व्यवहार वाद। 02. उपरोक्त व्यवहार वाद प्रकरणों से उत्पन्न विविध न्यायिक प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ। 03. लघुवाद न्यायालय के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले रू. 501/– से अधिक रू. 1000/– तक के दावे। 04. प्रोवेट एण्ड लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेसन के प्रकरण। 05. ट्रेड यूनियन एक्ट के अधीन उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण। 06. ग्राम न्यायालय पवई के प्रकरणों से उत्पन्न नियमित एवं विविध अपीलें। 07. भू–अर्जन अधिनियम के अधीन उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण। 08. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन विचारणीय पारिवारिक विवादों के प्रकरण। 09. दत्तक ग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत गोदनामा बावत् आवेदन पत्र। 10. मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम,1938 के तहत् प्रकरण। 11. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम,1968 के तहत प्रकरण 12. विशेष विवाह अधिनियम के तहत प्रकरण। 13. गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण। 14. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 139(5) तथा 173 के अंतर्गत पवई में कार्यरत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध

क्र0	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	प्रकरणों का प्रकार
			पुनरीक्षण। 15. ऐसे समस्त व्यवहार प्रकरण जो समय–समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किए जावें। 16. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पवई द्वारा निर्णीत व्यवहार प्रकरणों में पारित निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें। 17. थाना पवई, शाहनगर, रैपुरा, सुनवानी एवं सिमरिया में पंजीबद्ध मोटर दुर्घटना से संबंधित मामलों से उद्भूत मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दुघ र्टना दावा एवं घातक दुर्घटना (फेटल एक्सीडेण्ट एक्ट, 1855) के समस्त प्रकरण। 18. विशेष न्यायालय पन्ना से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर अन्य प्रकरण जो सूची में वर्णित न हों। 19. द्वितीय जिला न्यायाधीश, पन्ना (एफ.टी.सी.) के न्यायालय के अति0 न्यायाधीश स्थान पवई के द्वारा निराकृत एवं अपीलीय न्यायालय से वापस प्राप्त, व्यवहार प्रकरण तथा उद्भूत इज़राय प्रकरण एवं अन्य समस्त विविध प्रकरण की कार्यवाहियाँ। 20. न्यास अधिनियम 1951 के अन्तर्गत प्रकरण। 21. दिवालिया अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण। 22. इंडियनल्यूनेंसी एक्ट 1912 के अन्तर्गत प्रकरण। 23. माध्यस्थम अधि 1940 के अन्तर्गत पंचाट मामले/ माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के मामले। 24. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के आदेशों के विरूद्ध प्रकरण। 25. पब्लिक प्रिमाइसेस इव्हिक्शन एक्ट 1971 के प्रकरण। 26. भरण पोषण अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रकरण। 27. अन्य ऐसे प्रकरण जो किसी अन्य न्यायालय को आवंटित न किए गये हों। 28. म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत निर्वाचन याचिकायें।
14.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड,	तहसील पवई, सिमरिया,	1. रु0 5,00,000 से अधिक 1,00,00,000 (एक करोड़) रुपये तक के व्यवहार वाद। 2. रु. 201 से लेकर रु. 500 तक के लघुवाद प्रकरण।

क्र0	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	प्रकरणों का प्रकार
	पवई	शाहनगर एवं रैपुरा	3. उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध न्यायिक प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ। 4. म0प्र0 नगरपालिका एक्ट की धारा 133 एवं 172 के अधीन अपीलें। 5. हिन्दू माईनॉरिटी एण्ड गार्जियनशिप, 1957(1) की धारा 32(9) के अधीन प्रकरण। 6. दिवालिया अधिनियम के अधीन प्रकरण। 7. डिस्प्लेज्ड परसन (डेडक्ट और इजेक्टमेंट) एक्ट, 1951 के अधीन प्रकरण। 8. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अधीन प्रस्तुत प्रकरण। 9. उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत होने वाले विविध न्यायिक प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ। 10. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण। 11. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पवई द्वारा निर्णीत प्रकरणों से संबंधित इज़राय, विविध प्रकरण की सुनवाई एवं उनके निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय से वापिस प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पवई करेंगे।
15.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पवई	तहसील पवई, सिमरिया, शाहनगर एवं रैपुरा	01. रू. 01 से लेकर रु. 5,00,000 तक के व्यवहार वाद। 02. रू. 01 से लेकर रु. 200 तक के लघुवाद प्रकरण। 03. उपरोक्त व्यवहार वादों एवं लघुवादों से उत्पन्न विविध न्यायिक प्रकरण एवं निष्पादन एवं व्यवहार प्रकरण। 04. बाह्य न्यायालयों से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले निष्पादन तथा व्यवहार प्रकरण। 05. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 06. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पवई द्वारा निर्णीत प्रकरणों से सम्बंधित इज़राय, विविध प्रकरण की सुनवाई एवं उनके निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय से वापिस प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पवई करेंगे।
16.	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय	तहसील जनपद पवई	01. जनपद पंचायत पवई एवं पन्ना क्षेत्र से उद्भूत होने वाले ग्राम न्यायालय के सुनवाई योग्य सिविल

क्र0	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	प्रकरणों का प्रकार
	पवई / पन्ना	एवं राजस्व तहसील पन्ना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत जनपद पंचायत / पंचायतें	प्रकरण। 02. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 03. ग्राम न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय पन्ना / पवई द्वारा निर्णीत प्रकरणों से सम्बंधित इज़राय, विविध प्रकरण की सुनवाई एवं उनके निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय से वापिस प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पवई करेंगे।
17.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अजयगढ़	तहसील अजयगढ़	01. रू. 01 से लेकर रु. 5,00,000 तक के व्यवहार वाद। 02. रू. 01 से लेकर रु. 200 तक के लघुवाद प्रकरण। 03. उपरोक्त व्यवहार वादों एवं लघुवादों से उत्पन्न विविध न्यायिक प्रकरण एवं निष्पादन एवं व्यवहार प्रकरण। 04. बाह्य न्यायालयों से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले निष्पादन तथा व्यवहार प्रकरण। 05. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 06. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अजयगढ़ तथा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के न्यायालय के समस्त (रिक्त) अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान अजयगढ़ द्वारा निर्णीत प्रकरणों से सम्बंधित इज़राय, विविध प्रकरणों की सुनवाई एवं उनके निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय से वापिस प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अजयगढ़ करेंगे।

सिविल जिला पन्ना के अंतर्गत कार्यरत न्यायाधीशों की अनुपस्थिति / अवकाश / ग्रीष्मकालीन / शीतकालीन अवकाश में उनके न्यायालयों से संबंधित शीघ्र सुनवाई यथा–रिमाण्ड, जमानत, सुपुदर्गी के आवेदनों का निराकरण नीचे लिखे न्यायालयों के सम्मुख न्यायालयों के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा सम्पादित किया जावेगा :–

क.	अनुपस्थिति में अवकाश कार्य के लिए प्राधिकृत पीठासीन न्यायाधीश			
01.	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना**	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) पन्ना	द्वितीय जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश पन्ना	तृतीय जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, पन्ना

02.	**विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज़) एवं प्रथम जिला न्यायाधीश, पन्ना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, पन्ना**	माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना कमांक–C/2264/III-6-3/90 दिनांक 14.09.2020 के अनुसार जिला मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में सत्र खंड में उपलब्ध वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश द्वारा या उन सभी की अनुपस्थिति में जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा और ऐसा प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट इस प्रयोजन के लिए सत्र न्यायालय (विशेष न्यायाधीश न्यायालय) का पीठासीन अधिकारी/न्यायाधीश माना जाएगा।		
03	**प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना**	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), पन्ना ।
04.	**द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना**	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना ।	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), पन्ना	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना
05.	**तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना**	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना।	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), पन्ना	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना
06.	**जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पवई**	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना ।	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना।	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), पन्ना
07.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना**	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के प्रथम अति0 न्यायाधीश, पन्ना	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पवई
08.	**द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना**	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के प्रथम अति0 न्यायाधीश, पन्ना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना।	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पवई
09.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के प्रथम अति0 न्यायाधीश, पन्ना**	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना।	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पवई
10.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पन्ना**	रिक्त		

11.	**द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पन्ना**	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पन्ना	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के प्रथम अति0 न्यायाधीश, पन्ना
12.	**तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पन्ना**	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पन्ना	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना
13.	**चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पन्ना**	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पन्ना	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पन्ना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना
14.	**व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पवई**	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना।	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के प्रथम अति0 न्यायाधीश,पन्ना	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना
नोटः—व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के अवकाश काल में उनके सिविल प्रकरण बावत् अर्जेन्ट सुनवाई प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना एवं उनकी अनुपस्थिति में क्रमशः प्रथम व्यव.न्या.वरिष्ठ खण्ड पन्ना के प्रथम अति. न्यायाधीश पन्ना व द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, पन्ना करेंगे।				
15.	**व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पवई**	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पवई ।	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पन्ना	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड पन्ना ।
16.	**व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अजयगढ़**	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पन्ना	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पन्ना	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड पन्ना ।

<u>नोटः</u>— **01.** सत्र न्यायाधीश, पन्ना के अवकाश/टूर/ट्रेनिंग पर होने की स्थिति में जमानत आवेदन पत्र स्वयंमेव अंतरित होकर ***"अनुपस्थिति में अवकाश कार्य के लिए प्राधिकृत पीठासीन न्यायाधीश"*** के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत होंगे।

02. व्यवहार नियम, 1958 के नियम 21(4) के अन्तर्गत समस्त पीठासीन अधिकारियों को अत्यावश्यक प्रकृति के सिविलवाद ग्रहण करने हेतु ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन अवकाश अवधि के लिये अधिकृत किया जाता है।

03. यदि एक अपराध में एक आरोपी के जमानत आवेदन की सुनवाई किसी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा की गयी है और उसी अपराध में अन्य सह आरोपी के जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत होते हैं तथा उस दिनांक को सत्र

न्यायाधीश के अवकाश पर होने की दशा में प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वमेव अन्तरित माना जाकर, उसकी सुनवाई संबंधित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा की जावेगी।

04. उर्पापण उपरांत संस्थित सत्र प्रकरणों से संबंधित जमानत आवेदन संबंधित विचारण न्यायालय के द्वारा ही सुने जावेंगे।

05. अधिसूचित विशेष न्यायालय (पॉक्सो) से संबंधित अपराध के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र अवकाश की स्थिति में उपस्थित वरिष्ठ न्यायाधीश को स्वमेव अंतरित माना जाकर, उनकी सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा की जावेगी ।

06. अधिसूचित विशेष न्यायालय (एनडीपीएस) के समक्ष पेश किए गए या लंबित किसी भी तत्काल आवेदन की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) के अवकाश की स्थिति में मान्नीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना कमांक–C/2262/III-6-3/89 दिनांक 14.09.2020 के अनुसार जिला मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में सत्र खंड में उपलब्ध वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश द्वारा या उन सभी की अनुपस्थिति में जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा और ऐसा प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट इस प्रयोजन के लिए सत्र न्यायालय (विशेष न्यायाधीश न्यायालय) का पीठासीन अधिकारी/न्यायाधीश माना जाएगा।

07. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना के अवकाश में होने पर उनकी न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाहियाँ विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), पन्ना एवं उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना तथा उनकी अनुपस्थिति में तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना तथा उनकी अनुपस्थिति में विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) पन्ना तथा उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम् न्यायाधीश, पन्ना द्वारा की जावेगी।

15/04/2025

(राजाराम भारतीय)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना (म0प्र0)

पृष्ठां0क्रमांक– 1551 **दो–12–1/90(SW)** **पन्ना, दिनांक–** 15 **अप्रैल, 2025**
(Work Distribution File)

(Through Email)

प्रतिलिपि :–

(01) माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
(02) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना
(03) विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज़), पन्ना

(04) प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना
(05) द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना
(06) तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना
(07) जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पवई
(08) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना
(09) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना
(10) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना
(11) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पवई
(12) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पन्ना
(13) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पन्ना
(14) चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पन्ना
(15) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय पवई
(16) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अजयगढ़
(17) अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, पन्ना/पवई/अजयगढ़
(18) प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना
(19) कलेक्टर, जिला पन्ना
(20) पुलिस अधीक्षक जिला–पन्ना

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(21) जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, पन्ना की ओर इस निर्देश के साथ कि कार्य विभाजन आदेश की प्रति समस्त न्यायिक अधिकारीगण को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित कर, जिला न्यायालय, पन्ना की वेबसाइट/सी.आई.एस. पर भी अपलोड किया जाए।

15/04/2025

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना (म0प्र0)